कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
email- jdajodhpur/yahoo.com वैब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2023/ 597 दिनांकः– 24/07/2023

–ःकार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा बैठक दिनांक 21.07.2023 को उपायुक्त (जोन–1) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :–

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 180 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

01. आवेदित भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोडा जाना जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
02. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
03. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
06. प्रश्नगत भूमि के पूर्व दिशा से गुजरने वाली सडक का मार्गाधिकार पूर्व अनुमोदन अनुसार 60 फीट रखा जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 71 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त दोनो कॉलोनी में आन्तरिंक सडक लिंक नही है व मौका रिपोर्ट अनुसार दोनो कॉलोनी को भिन्न बताया गया है।

अतः जोन लेवल समिति पूर्व अनुमोदन के कम में उदाराम विहार के मानचित्र को जोन लेवल समिति निर्णय अनुसार व सरदार विहार कॉलोनी में 60 प्रतिशत से अधिक आबादी होने से सर्वे के आधार पर मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णया लिया गया।

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

नवनीत राज त्रिवेदी
अधिशाषी अभियन्ता

तहसीलदार (जोन-1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (जोन-1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 57/2, 57/5, 57/6 के ले–आउट प्लान के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त राजस्व व मौका रिपोर्ट अनुसार 30 फीट पहुच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। समिति द्वारा निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

01. आवेदित भूमि में विद्युत लाईन (यदि कोई हो) तो उसके नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर छोडा जाना जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
02. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
03. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
04. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
05. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होंगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण	अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण	उपायुक्त (जोन–1) जोधपुर विकास प्राधिकरण
तहसीलदार (जोन–1) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर	नवनीत राज त्रिवेदी अधिशाषी अभियन्ता	सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर	उपायुक्त (जोन–1) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

क्रमांकः F37.(3)/नि.प्रा./जो.स्त.स./का.वि./2023/ 598–603 दिनांकः– 24/07/2023

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन–1, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता जोन–1, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन–1, जो.वि.प्रा, जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर